उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या: 53/2026/538/छप्पन-2026-13(सा0)/2021
लखनऊ, दिनांक: 03 जून, 2026

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

<u>नियुक्ति</u>

नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0 की अनुरक्षण, सुरक्षा एवं सामान्य प्रशासन इकाई में वायुयान अनुरक्षण अभियन्ता के रिक्त पद पर भर्ती हेतु चयन समिति द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से कुल 18 अभ्यर्थियों में से वॉक-इन इन्टरव्यू में सम्मिलित हुए 12 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया गया। चयन समिति द्वारा निदेशालय की फ्लीट में सम्मिलित वायुयानों पर उपयोगिता एवं अभ्यर्थियों की अर्हता, अनुभव तथा साक्षात्कार में किए गए प्रदर्शन के आधार पर श्री गौतम कुमार को प्रथम स्थान पर रखते हुए उन्हें रू0 3.50 लाख प्रतिमाह के पारिश्रमिक पर संविदा के आधार पर दो वर्ष के लिए उक्त पद पर नियुक्ति प्रदान करने की संस्तुति की गई है।

2- चयन समिति द्वारा की गई संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0 के अधीन अनुरक्षण, सुरक्षा एवं सामान्य प्रशासन इकाई में वायुयान अनुरक्षण अभियन्ता के पद पर संविदा के आधार पर रू0 3.50 लाख प्रतिमाह के पारिश्रमिक एवं नियमानुसार अनुमन्य वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि पर श्री गौतम कुमार को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- श्री गौतम कुमार को उक्त संविदा की अवधि में उपर्युक्त नियत मासिक पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे।

4- श्री गौतम कुमार से उनकी संविदा सेवा के सम्बन्ध में निर्धारित अनुबन्ध-प्रपत्र पर निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा अनुबन्ध निष्पादित करके उसकी एक-एक प्रति श्री गौतम कुमार एवं शासन को अभिलेखार्थ उपलब्ध कराई जाएगी।

5- इस पत्र के जारी होने के 20 दिन के अन्दर श्री गौतम कुमार को अपना स्वीकृति-पत्र प्रेषित करना अनिवार्य है तथा यदि वह इस पत्र की तिथि से 03 माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो उनका अभ्यर्थन स्वत: निरस्त समझा जाएगा एवं इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा कोई अन्य पत्राचार नहीं किया जाएगा।

निखिल टीकाराम फुंडे
विशेष सचिव ।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पृ0सं0- 53/2026/538(1)/छप्पन-2026, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि श्री गौतम कुमार से निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध-पत्र निष्पादित करके उसकी एक-एक प्रति श्री गौतम कुमार एवं शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. श्री गौतम कुमार, Add:- Anand Apartment, Flat no 303 RZD 1/7/1 Gali no. 5 Mahaveer Enclave, palam, New Delhi, 110045,
3. महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 प्रयागराज।
4. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।